| नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज | अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| | 23-11-19 वकील वादी उप०। बहस सुनी गई। वास्ते निर्णय पत्रावली दि० 11-12-19 को पेश हो। | |
| | 11-12-19 वकील वादी उप०। वास्ते निर्णय पत्रावली दि० 18-12-19 को पेश हो। | |
| | 18-12-19 पत्रावली पेश हुई। वकील वादी/~~प्रतिवादी/~~ ... अतः पत्रावली पुनः दिनांक 7-1-2020 को पेश हो। रीडर | |
| | 7-1-2020 पत्रावली पेश हुई। वकील वादी/~~प्रतिवादी/~~ ... अतः पत्रावली पुनः दिनांक 24-1-2020 को पेश हो। रीडर | |
| | 24-1-2020 पत्रावली पेश हुई। ... अतः पत्रावली पुनः दिनांक 17-2-2020 को पेश हो। रीडर | |
| | 17-2-2020 वकील वादी उप०। पुनः बहस सुनी गई। वास्ते निर्णय पत्रावली दि० 5-3-2020 को पेश हो। | |
| | 5-3-2020 वकील वादी उप०। दावा वादी डिक्री किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर पत्रावली में शामिल किया गया। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। | |
| | उप जिला कलेक्टर<br>मवाना सिटी (स०मा०) | |

निर्णय न्यायालय श्री विजेन्द्र कुमार मीना, आर0ए0एस0, उप जिला कलेक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर

| मुकदमा नम्बर | तारीख रजू | तारीख निर्णय |
|---|---|---|
| 212/2004 | 14.9.2004 | 4-3-2020 |

1. विशम्भरदयाल पुत्रगण गंगाबक्स जाति ब्राह्मण निवासी हिंगोट्या
2. श्यामलाल हाल वासी सूर सागर, गंगापुर सिटी —वादीगण

बनाम

1. रघुनाथ पुत्र सोन्या, रैगर निवासी मिर्जापुर तहसील गंगापुर सिटी
2. बाबूलाल पुत्र गणेश, रैगर निवासी मिर्जापुर तहसील गंगापुर सिटी
3. रामसहाय पुत्र गणेश, रैगर निवासी मिर्जापुर तहसील गंगापुर सिटी
4. लैण्ड होल्डर राज्य सरकार जरिए तहसीलदार तहसील गंगापुर सिटी
5. मु0केसर पत्नी गणेश,रैगर नि0मिर्जापुर तह0गंगापुरसिटी(मृतक नामहजफ)

—प्रतिवादीगण

दावा घोषणां खातेदारी, इन्द्राज दुरूस्ती एवं स्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थित :– श्री महेश चन्द अग्रवाल , एडवोकेट, वादीगण की ओर से

निर्णय

वादीगण ने वाद पत्र इस आशय का पेश किया है कि वादीगण के पिता गंगाबक्स पुत्र ऊंकार ब्राह्मण के कब्जे काश्त व खातेदारी की भूमि साबिक ख0नं0 325 रकबा 8 बीघा 17 विस्वा, ख0नं0 329/1 मिन रकबा 107 बीघा 10 विस्वा कुल रकबा 116 बीघा 7 विस्वा स्थित रही है। खातेदार का इन्तकाल हो चुका है। उसके वारिस वादीगण हैं। उक्त भूमि पर वादीगण काबिज रहकर काश्त कर भूमि व फसल से लाभान्वित होते चले आ रहे हैं। ख0नं0 329 में से वादीगण के पिता गंगाबक्स ने प्रतिवादी नं0 2 व 3 के पिता गणेश व प्रतिवादी नं0 1 रघुनाथ को 2 बीघा 17 विस्वा भूमि का बेचान किया है जिसका इन्द्राज खातेदारी प्रतिवादीगण के नाम जमाबंदी सं0 2027 से 2030 में दर्ज है। ख0नं0 329 से बटा नम्बर 329/7 कायम करके प्रतिवादी नं0 1 व प्रतिवादी नं0 2, 3 के पिता के नाम दर्ज हुआ जिसका नवीन मिलान क्षेत्रफल में ख0नं0 182 रकबा 46 एयर, ख0नं0 186 रकबा 50 एयर दर्ज किया गया है। वादीगण के पिता गंगाबक्स द्वारा अपने कब्जे की भूमि ख0नं0 329 में से 2 बीघा 17 विस्वा भूमि का बेचान जिया गया जिसका नामान्तरकरण संख्या 132 दिनांक 26.12.63 खरीददारान के नाम खुला। इस 2 बीघा 17 विस्वा के बराबर 71 एयर भूमि ही प्रतिवादीगण प्राप्त करने के अधिकारी हैं परन्तु प्रतिवादीगण के नाम भू–प्रबन्ध में 96 एयर भूमि अर्थात 25 एयर भूमि अधिक दर्ज कर दी गई है । यह 25 एयर भूमि जानिव दिशा

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स0मा0)

शामिल करके ग्राम हिंगोट्या की इन्द्राज दुरूस्ती करवा कर वादीगण खातेदारी प्राप्त करने के अधिकारी हैं। भू–प्रबन्ध विभाग ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर यह कार्य किया है। इस गलत इन्द्राज के आधार पर प्रतिवादीगण उनके नाम दर्ज हुई 25 एयर अधिक भूमि को खुर्दबुर्द करने पर आमादा हैं। प्रतिवादीगण ने दिनांक 10.7.2004 को धमकी दी है कि वे वादीगण को इस 25 एयर भूमि से लाभान्वित नहीं होने देंग और इस पर कब्जा करेंगे। अतः दावा प्रस्तुत कर निवेदन है कि दावा वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री किया जाकर भूमि ख0नं0 186 रकबा 50 एयर में से रकबा 25 एयर जानिव दिशा पश्चिम ग्राम हिंगोट्या का वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे। इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में इन्द्राज दुरूस्ती की जावे तथा प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे कि वे उपरोक्त भूमि के कब्जे काश्त उपयोग उपभोग में वादीगण को किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करें न किसी अन्य से करावें।

वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादी नं0 1, 4 बाबजूद सूचना उपस्थित नहीं हुए अतः इनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गई।

वादपत्र के साथ वादीगण ने नकल जमाबंदी संवत 2025–2028, नकल मिलान क्षेत्रफल, नकल जमाबंदी संवत 2071–74 प्रस्तुत किये है।

प्रतिवादी नं0 2 व 3 ने अपने जबाब दावे में अंकित किया है कि प्रतिवादी गणेश्या के खाते में सं0 2027 से 2030 में ख0नं0 329/1 रकबा 3 बीघा 10 विस्वा भूमि थी। प्रतिवादीगण को गत के मुताबिक हीं रकबा मिला है। प्रतिवादीगण के नाम कोई गलत इन्द्राज नहीं किए गए हैं। अतः जबाब प्रस्तुत कर निवेदन है कि दावा वादीगण खारिज फरमाया जावे।

वादपत्र एवं जबाब वादपत्र के आधार पर निम्न तनकी कायम की गई–

1. आया भूमि साबिक ख0नं0 325, 329/1 ग्राम हिंगोट्या वादीगण के पिता की खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि रही है जिसमें ख0नं0 329/1 में से 2 बीघा 17 विस्वा भूमि वादीगण के पिता ने प्रतिवादी रघुनाथ व प्रतिवादी नं0 2, 3 के पिता गणेश को बेचान की जिसका अंकन उनके नाम जमाबंदी सं0 2027 से 2030 में हो गया। —वादीगण

2. आया प्रतिवादीगण को बेची गई भूमि का बटा नम्बर 329/7 कायम हुआ जिसका भू–प्रबन्ध में नवीन नम्बर 182 रकबा 46 एयर व 186 रकबा 50 एयर बनाया जाकर प्रतिवादीगण के नाम खातेदारी में अंकित किया गया है।

उप जिला कलेक्टर,
गंगापुर सिटी (स०मा०)

3. आया भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा प्रतिवादीगण के नाम वादीगण की 25 एयर भूमि जानिब दिशा पश्चिम को ख0नं0 186 रकबा 50 एयर में शामिल कर दर्ज दी गई है एवं इस गलत इन्द्राज के आधार पर 25 एयर भूमि से बेदखल करने की प्रतिवादीगण ने दिनांक 10.7.2004 को वादीगण को धमकी दी अतः वादीगण प्रतिवादीगण के नाम गलत रूप से लगाई गई 25 एयर भूमि की खातेदारी घोषणा अपने नाम कराने व प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी हैं।

—वादीगण

4. आया प्रतिवादी रामसहाय, बाबूलाल के नाम साबिक ख0नं0 329/1 में 3 बीघा 10 विस्वा भूमि थी एवं उसके अनुसार ही प्रतिवादीगण को वर्तमान भू–प्रबन्ध में भूमि मिली है इसलिए वादीगण का दावा चलने योग्य नहीं है।

—प्रतिवादी नं0 2, 3

5. अनुतोष।

वादपत्र के समर्थन में वादीगण ने नकल जमाबंदी सं0 2059 से 2062 प्रदर्श–1, नकल मिलान क्षेत्रफल भू–प्रबन्ध प्रदर्श–2, नकल नामान्तरकरण दिनांक 26.12.63 प्रदर्श–3, नकल नक्शा ट्रेस प्रदर्श–4, नकल जमाबंदी सं0 2027 से 2030 प्रदर्श–5 प्रस्तुत की है एवं बयान वादी विशम्भरदयाल कराए हैं।

प्रतिवादीगण की ओर से कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया एवं दिनांक 20.11.2019 को प्रतिवादीगण एवं उनके अभिभाषक न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए फलस्वरूप प्रतिवादी नं0 2, 3 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गई।

बहस विद्धान वकील वादीगण सुनी गई।

वादीगण के विद्धान वकील ने अपने वादपत्र के अनुरूप बहस करते हुए वादीगण का दावा डिक्री करने का निवेदन किया है।

बहस पर मनन किया । पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। नकल नामान्तरकरण दिनांक 26.12.63 के अनुसार वादीगण के पिता गंगाबक्स ने ख0नं0 329 में 2 बीघा 17 विस्वा भूमि ग्राम हिंगोट्या रघुनाथ पुत्र सोन्या, गणेश पुत्र रामल्या रैगर को विक्रय की है। नकल जमाबंदी सं0 2027 से 2030 प्रदर्श–5 के अनुसार ख0नं0 329/7 रकबा 2 बीघा 17 विस्वा भूमि रघुनाथ पुत्र सोन्या व गणेश पुत्र राजल्या रैगर के नाम खातेदारी में दर्ज है। नकल मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श–2 के अनुसार भूमि ख0नं0 329/7 रकबा 2 बीघा 17 विस्वा के नवीन ख0नं0 182 रकबा 46 एयर व ख0नं0 186 रकबा 50 एयर बना है जो नकल जमाबंदी सं0 2059 से 2062 प्रदर्श–1 के अनुसार

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स0मा0)

रूगनाथ पुत्र सोन्या, बाबूलाल रामसहाय पि0 गणेश रैगर की खातेदारी में दर्ज है। प्रस्तुत अभिलेख से स्पष्ट है कि प्रतिवादीगण को वादीगण के पिता द्वारा 2 बीघा 17 विस्वा भूमि विक्रय की गई थी जिसका नामान्तरकरण भी क्रेतागण के नाम खुल गया परन्तु भू-प्रबन्ध के दौरान प्रतिवादीगण को इस 2 बीघा 17 विस्वा भूमि के बदले में 71 एयर भूमि मिलनी चाहिए थी जो उन्हें 96 एयर भूमि ख0नं0 182 व 186 के रूप में दे दी गई है। इस प्रकार वादीगण के पिता की खातेदारी भूमि का 25 एयर रकबा प्रतिवादीगण के नाम अधिक दर्ज कर दिया गया है जिसे वादीगण प्राप्त करने के अधिकारी हैं।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार वादीगण का वाद डिक्री किया जाकर ग्राम हिंगोट्या की भूमि नवीन नम्बर 186 रकबा 50 एयर में 25 एयर भूमि जानिव दिशा पश्चिम का वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। यह भूमि प्रतिवादी नं0 1, 2, 3 की खातेदारी से कम की जाकर वादीगण की खातेदारी में दर्ज की जावे एवं इसी अनुसार राजस्व अभिलेख व नक्शा ट्रेस में इन्द्राज दुरूस्ती की जावे। पर्चा डिक्री जारी किया जावे।

पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील मूल बाद के साथ संलग्न रहे।

निर्णय आज दिनांक 4-3-2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

( विजेन्द्र कुमार मीना )
उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स0मा0)

डिकरी व मुकदमे इब्तदाई
(ऑर्डर 20, रूल 6–जाब्ता दीवानी)

(Civil Proceede Code, Appendix D-1)

Judi/Civil
Part IV-10

बइ अदालत उप जिलाकलेक्टर मुकाम गंगापुर सिटी
इजलास विजेन्द्र कुमार मीना, आर0ए0एस0

उनवान

1. विशम्भरदयाल पुत्रगण गंगाबक्स जाति ब्राह्मण निवासी हिंगोट्या
2. श्यामलाल हाल वासी सूर सागर, गंगापुर सिटी —वादीगण

बनाम

1. रघुनाथ पुत्र सोन्या, रैगर निवासी मिर्जापुर तहसील गंगापुर सिटी
2. बाबूलाल पुत्र गणेश, रैगर निवासी मिर्जापुर तहसील गंगापुर सिटी
3. रामसहाय पुत्र गणेश, रैगर निवासी मिर्जापुर तहसील गंगापुर सिटी
4. लैण्ड होल्डर राज्य सरकार जरिए तहसीलदार तहसील गंगापुर सिटी
5. मुकेश्वर पत्नी गणेश,रैगर निवासी मिर्जापुर तहसील गंगापुरसिटी (मृतक नामहजफ)

—प्रतिवादीगण

दावा घोषणां खातेदारी, इन्द्राज दुरूस्ती एवं स्थाई निषेधाज्ञा

मुकदमा नं. –212 / 2004

यह मुकदमा आज वास्ते इनफियाल कताई रूबरू हमारे व हाजरी श्री महेश चन्द अग्रवाल, एडवोकेट मिनजानिब मुददई —— मुद्दायलह पेश होकर, हुक्म दिया जाता है व उपरोक्त विवेचन के अनुसार वादीगण का वाद डिक्री किया जाकर ग्राम हिंगोट्या की भूमि नवीन नम्बर 186 रकबा 50 एयर में 25 एयर भूमि जानिव दिशा पश्चिम का वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। यह भूमि प्रतिवादी नं0 1, 2, 3 की खातेदारी से कम की जाकर वादीगण की खातेदारी में दर्ज की जावे एवं इसी अनुसार राजस्व अभिलेख व नक्शा ट्रेस में इन्द्राज दुरूस्ती की जावे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक को जारी किया गया ।

( विजेन्द्र कुमार मीना )
उप जिलाकलेक्टर
गंगापुर सिटी
उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स0मा0)

| मुददई | रूपया | पैसा | मुद्दायलह | रूपया | पैसा |
|---|---|---|---|---|---|
| स्टाम्प अर्जीदावा | | | | | |
| स्टाम्प वकालतनामा | | | स्टाम्प वकालतनामा | | |
| स्टाम्प वजह सबूत | | | स्टाम्प पर्चा | | |
| महनताना वकील | | | महनतानावकील पर | | |
| खर्चा गवाहान | | | खर्चा गवाहान | | |
| फीस कमिश्नर | | | फीस कमिश्नर | | |
| बाबत इजराय | | | बाबत इजराय | | |
| हुक्मनामा | | | हुक्मनामा | | |
| मुतफर्रिक | | | मुतफर्रिक | | |
| मीजान | | | मीजान | | |

( विजेन्द्र कुमार मीना )
उप जिलाकलेक्टर
गंगापुर सिटी
उप जिला कले...
गंगापुर सिटी (स0मा0)

Signature Not Verified
Digitally signed by Vijendra Kumar Meena
Date: 2020.06.24 16:16:21 IST
Reason: SelfAttested
Location: